

उत्तर प्रदेश शासन

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2

संख्या-क0नि0-2-634/ग्यारह-9(1)/2008-उ0प्र0अधि0-5-2008-आदेश-(157)-2016

लखनऊ: दिनांक: 27 मई, 2016

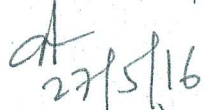
अधिसूचना

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, सन् 2008) की धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल, उक्त अधिनियम की अनुसूची-एक में दिनांक 28 मई, 2016 से निम्नलिखित संशोधन करते हैं:-

संशोधन

उक्त अनुसूची-एक में, कम संख्या 10 की प्रविष्टि में, अर्द्धविराम और शब्द " ; काटन रोविंग (पूनी) एवं स्लाईवर" अंत में बढ़ा दिये जायेंगे।

आज्ञा से,


(बीरेश कुमार)
प्रमुख सचिव।